न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 11/2019

बउनवानः–

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति नायक निवासी भगवानपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

दायरा दिनांकः 04.02.2019 निर्णय दिनांक : 04.02.2019

पटवारी हल्का बोहत, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम भगवानपुरा के खसरा नं0 313 का सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2044–63 के अनुसार रकबा 2.11 है0 सिवायचक बिला लगानी दर्ज था। खसरा नं0 313 रकबा 2.11 है0 में से आवंटन दिनांक 29.10.1988 से ग्राम भगवानपुरा के नामा0 संख्या 23 से 1.76 है0 रकबा बंशीलाल पुत्र बद्रीदास जाति बैरागी सा0 देह के नाम गैर खातेदार का नामा0 स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात शेष रकबा 0.35 है0 रहा फिर भी आवंटन दिनांक 29.10.1998 की पालना में उक्त खसरा नं0 313 में नामा0 नं0 79 से रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति नायक सा0 देह के नाम 0.80 है0 गैर खातेदारी में नामा स्वीकृत किया गया।

ग्राम भगवानपुरा के नामा0 नं0 79 से खसरा नं0 313 का शेष रहा रकबा 0.35 है0 का ही नामा0 दर्ज किया जाना था लेकिन सहवन से 0.80 है0 का नामा0 दर्ज कर दिया गया तथा स्वीकृत भी हो गया जिससे उक्त खसरा नं0 में 0.45 है0 चक बेशी हो गया। खसरा नं0 313 रकबा 2.11 है0 साबिक खसरा नं0 389 से बना है। खसरा नं0 389 से और भी खसरा नंम्बर बने है। लेकिन उनका कोई रकबा सिवायचक नही है। जिससे क्षति पूर्ति की जा सकें। खसरा नं0 313 के समीपवर्ती खसरा नं0 315 रकबा 2.72 है0 किस्म खला खद्दड सिवायचक बिला लगानी दर्ज थी। जिससे आवन्टी रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति नायक निवासी सा0 देह को शेष रकबा 0.45 है0 खातेदारी का रकबा 0.80 है0 की पूर्ति की जा सकती है। खसरा नं0 313 रकबा 2.11 है0 में प्रथम आवंटी गैर खातेदार बंशीलाल पुत्र बद्रीदास जाति बैरागी सा0 देह आज भी राजस्व रेकार्ड में उक्त खसरा नम्बर में रकबा बेशी होने के कारण गैर खातेदार दर्ज है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल द्वारा मय अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 04.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1–हाल नकल जमाबंदी चालू 2. सेटलमेंट जमाबंदी 2044–63 3. नामान्तरकण संख्या 23, 79, 299 की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि ग्राम भगवानपुरा की आराजी खसरा नं0 313 के समीपवर्ती खसरा नं0 315 रकबा 2.72 है0 किस्म खाल खद्दड सिवायचक बिला लगानी दर्ज है जिससे आवन्टी रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति नायक सा0 देह को शेष रकबा 0.45 है0 खातेदारी में दर्ज करके गांव के बेशी चक को कम किया जाकर खातेदार का रकबा 0.80 है0 की पूर्ति किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सु